

## क्षेत्रीय सुरक्षा (Regional Security)

क्षेत्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही जुड़ा होता है। इस प्रकार की सुरक्षा समस्या राजशाही और सामन्तशाही के दौर में भी रही थी। यूरोप और एशिया महाद्वीप क्षेत्रीय सुरक्षा की चिन्ता से ग्रस्त रहा है। इस चिन्ता ने क्षेत्रीय सुरक्षा के संगठनों को जन्म दिया और विकास को प्रोत्साहन दिया। साम्राज्य विस्तारवादी और साम्यवादी विस्तार के विचारों, दाँव-दंडों और घेरेबन्दी की कुटिल नीतियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा की समस्या को उग्र बनाया तो क्षेत्रीय स्तर पर इनके परस्पर विस्तार को रोकने हेतु क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों के गठन हेतु वैचारिक ऊर्जा प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनके निर्माण का आधार परस्पर मतभेद, गुटबन्दी, अपने-अपने क्षेत्रीय प्रसार व प्रभाव में वृद्धि से सम्बन्धित था। हमें ध्यान रखना होगा कि मानव समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और आर्थिक सम्बन्धों की स्थापनार्थ आर्थिक संगठनों विकास किया और इन आर्थिक संगठनों को नियंत्रित करने हेतु राजनीतिक संगठनों के नियंत्रण की प्रक्रिया में ही राज्यों का आविर्भाव सिन्धु व सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, नील नदी द्विजला-फरात नदी घाटियों में हुआ था। नगर राज्यों का प्रारम्भ 1500 ई० पू० में यूनानी प्रायद्वीप से तत्कालीन हेलीन कहलाने वाली यूनानी जाति के बसने के साथ हुआ और इनका अन्त 400 ई० पू० में 328 ई० पू० ईरानी आक्रमणों, पेलीपेनशियन युद्धों और अन्त में सिकन्दर की विजय के साथ हुआ।

राजनीतिक संगठनों का विकास साम्राज्यवाद की भावना के रूप में विकसित हुआ। सर्वप्रथम रोमन साम्राज्यवाद का विकास 350 ई० पू० में हुआ था। रोमन लोगों ने अपने राजनीतिक संगठनों को सैन्य संगठनों में परिवर्तित कर अपने पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक संगठनों को स्वतंत्रता को हड्डपना शुरू कर दिया। चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन बाद उत्पन्न अराजकता की छाया में सामन्तवादी व्यवस्था का आगमन हुआ। 1648 में की गई वैस्टीफोलिया की संधि से यूरोप में आधुनिक राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। इसमें संप्रभु राज्य की स्थापना, उपनिवेशों की स्थापना, क्रान्तियों का दौर शुरू हुआ और दो-दो महायुद्ध भी लंगये। इन दो महायुद्धों के बाद राष्ट्र-राज्यों की स्थापना और नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दौर शुरू हुआ तो राष्ट्रों की परस्पर अन्योन्याश्रिता स्पष्ट हो गयी। अतः क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और सुरक्षा जैसी धारणाएँ अनुपयोगी होती दिखाई देने लगी। इस प्रकार क्षेत्रीय सुरक्षा का विचार तेजी से विकसित हुआ और राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता, प्रभुसत्ता और शक्ति संचय प्रदर्शन जैसी भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। क्षेत्रवाद की भावना भी प्रबल हो उठी।

पामर और पर्किन्स के शब्दों में, “क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की ओर प्रवृत्ति, ही ही के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक बड़ा दिलचस्प विकास है।” विश्व राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रयोग बहुत प्राचीन है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष के कुछ देश मिलकर अपना एक संगठन बनाते हैं जिसकी प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए होती है क्योंकि अनेक देश इसके सदस्य होते हैं। कोई भी संगठन क्षेत्रीय इसलिए कहलाता है कि इसका क्षेत्राधिकार एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है।

चार्ल्स पी० श्लीचर कहते हैं कि, “क्षेत्रवाद राज्यों तथा निर्भर क्षेत्रों को क्षेत्रीय आंदोलन पर संगठित करने की अवधारणा है।” जब यह अवधारणा सुरक्षा या प्रतिरक्षा के साथ जोड़ जाती है तो वह क्षेत्रीय सुरक्षा की अवधारणा बन जाती है। इसके पीछे राष्ट्रों के सामाजिक विशेष हित जुड़े हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय सुरक्षा और सुरक्षा के संगठनों का जन्म हो जाता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति प्रबंधन का एक भाग है। विशेष रूप से इसका जन्म सामूहिक सुरक्षा की भावना के अधीन हुआ है। कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के लिए दीर्घ स्तर पर शक्ति का प्रबंधन करना है तो क्षेत्रीय सुरक्षा लघु स्तर पर अर्थात् एक क्षेत्र विशेष में शक्ति का प्रबंधन करना है। जैसे दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, आदि। विश्व राजनीति में राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने वाली अवधारणा को सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा कहा जाता है। यह शांति स्थापित करने, उसे बनाये रखने और युद्ध का प्रतिकार करने का एक तरीका है। इसी प्रकार क्षेत्र स्तरीय राजनीति में क्षेत्रीय राष्ट्रों द्वारा परस्पर सुरक्षा प्रदान करने की धारणा को 'क्षेत्रीय सुरक्षा की अवधारणा' कहा जाता है। इसमें भी संघर्षों व युद्धों का प्रतिकार कर शांति स्थापित करने और उसे बनाये रखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें यह धारणा होती है कि क्षेत्रीय राष्ट्रों में यदि किसी एक राष्ट्र पर कोई हमला होता है तो सभी क्षेत्रीय राष्ट्रों पर हमला माना जायेगा और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रीय राष्ट्र संगठित होकर उस आक्रमणकारी का समाना करेंगे। यह धारणा सामूहिक सुरक्षा के विचार की अवधारणा के समानान्तर विकसित हुई है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद बदले विश्व राजनीतिक पर्यावरण ने क्षेत्रीय सुरक्षा की भावना को अधिक उग्र बनाया था।

वास्तव में देखा जाये तो क्षेत्रीय सुरक्षा की अवधारणा एकदम भिन्न है। प्रादेशिक संगठन व संघियों का उद्देश्य तो सामूहिक सुरक्षा का ही होता है। अनेक विचारकों का मानना है कि क्षेत्रीय सुरक्षार्थ प्रादेशिक संगठन बनाकर सामूहिक सुरक्षा की पद्धति/अवधारणा को और अधिक लोकप्रिय एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। किन्तु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। क्योंकि प्रादेशिक या क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन गुटबन्दी के आधार पर बनाए गये हैं। जैसे नाटो, सीटो, सैण्टो, वार्सा, आसियान, शंघाई-5 आदि। इनकी स्थापना का कारण किसी सम्भावित आक्रमण से रक्षा करना नहीं बरन् द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्द्धा एवं गुटबन्दी है और युद्ध की प्रवृत्ति को बढ़ाता रहा है। आज केवल नाटो सैन्य गुट जीवित है। वार्सा, सैण्टो व सीटो समाप्त हो गये हैं। अब स्वतंत्र राष्ट्र कुल, शंघाई-पाँच जैसे नये क्षेत्रीय गुट बन कर उभरे हैं जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना है। अब नाटो गुट की संख्या बढ़कर 28 हो गयी है। शंघाई-पाँच संगठन की संख्या भी बढ़कर 6 से 8 तक हो गयी है। आसियान भी सैन्य कार्यदल का गठन कर चुका है। इस प्रकार यह सभी क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने में संलग्न है। इस प्रक्रिया में खेल में बड़े खिलाड़ी (बड़े देश) छोटे खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें अपनी कपटपूर्ण खेल नीति (आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, रक्षा सहयोग आदि) से अवगत कराते हैं, कायदे, कानून और नियमों की पट्टी पढ़ाते हैं। इस खेल का सर्वाधिक लाभ भी बड़े खिलाड़ियों (महाशक्तियों) को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि भारत व पाक पैदाइशी प्रतिद्वन्द्वी नहीं होते तो अमेरिका दक्षिण एशिया में आकर पाक को सीटों और सैण्टों का सदस्य नहीं बनाता और न ही मार्शल अव्यूब खाँ की सरकार के साथ 1959 में रक्षा समझौता करता। फिर पाक सरकार भी भारत पर चार-चार हमले करने की चाल नहीं चलती। किन्तु अमेरिका ने इस उपमहाद्वीप में कुटिल खेल खेलकर अपने अड्डे स्थापित कर लिए। आतंकवाद की समाप्ति के नाम पर अमेरिका ने मार्च, 2003 में पाक को गैर-नाटो प्रमुख सहयोगी का दर्जा देकर नया खेल शुरू कर दिया। इसके तहत जो सामरिक सहायता पाक को मिलेगी, जिसमें एक-16 लडाकू विमानर, हारपून एवं एक्सोमेट मिसाइलें आदि होंगी, क्या उनका निशाना भारत नहीं होगा? पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र है, मजहब की बुनियाद पर खड़ा एक मात्र राष्ट्र-राज्य है और भारत विरोध ही उसकी प्राणवायु है। इस प्राणवायु के पम्प का दूसरा नाम ही अमेरिका है।

नवम्बर, 2001 में अमेरिका ने सारे गिले शिकवे भुलाकर भारत से सामरिक सम्बन्धों की वार्ता शुरू की थी। मई, 1974 के प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद में 1984 तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वार्ता शुरू की थी। यह रूख 1984 के अन्त में उच्च तकनीक के हस्तांतरण से नर्म हुआ। मई, 1998 के द्वितीय परमाणु विस्फोट ने पुनः दूरियों को बढ़ाया तो ये दूरीय समाप्त हुई 11 सितंबर, 2001 की घटना के बाद। राष्ट्रपति किल्टन ने भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी वार्ता शुरू की जिसे राष्ट्रपति बुश ने बल प्रदान किया और कार्य रूप में भी बढ़ाया। नवम्बर, 2001 में बुश व बाजपेई के बीच न्यूयॉर्क में वार्ता हुई और समझौते की पृष्ठभूमि भी तैयार की गयी। भारत-अमेरिकी साझेदारी में अंतरिक्ष कार्यक्रमों, उच्च तकनीकों, व्यापार, मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, शस्त्र उत्पादन में संयुक्त सहयोग और सशस्त्र सैन्य अभ्यास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। सैन्य अभ्यास लगातार चल रहे हैं। यह क्षेत्रीय सुरक्षा का नया प्रतिक्रिया है। अप्रैल, 2004 के प्रारम्भ में दक्षिण एशिया में प्रथम बार सी० आई० आई० और एशिया सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर बिलियम्स्पर्कर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अमेरिका, जापान व सिंगापुर आदि देशों के अग्रणी सरकारें प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने भाग लिया। सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की और अध्यक्षता अमेरिका ने की। यह इस प्रकार का प्रथम एशियाई सम्मेलन था जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया था। क्षेत्रीय सुरक्षार्थ सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक सहयोग तथा सैन्य प्रशिक्षण पर उच्च स्तरीय रखा सहयोग हेतु भारत के रक्षा सचिव अजय प्रसाद के अधीन थल सेना उपाध्यक्ष लेफिट० जनरल शांतनु चौधरी, एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख वाइस एडमिरल रमनपुरी और सहायक वायु सेना प्रमुख एयर वाइस मार्शल के० डी० सिंह आदि ने जर्मन और रूमानिया देशों की यात्रा की। अप्रैल, 2004 के मध्य तक यह दल रक्षा सहयोग की सफलतार्ता करके स्वदेश लौट आया था। इस प्रकार की रक्षा सहयोग की वार्ता भारत ने कई देशों के साथ चला रखी है। अनेक देशों के साथ पूर्व यह नीति सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

## समग्र सुरक्षा (Comprehensive Security)

समग्र या बहुत सुरक्षा की भावना शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विकसित करने का एक प्रमुख साधन है। यह सुरक्षा व्यवस्था सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिछाया कही जाती है। असुरक्षा की भावना और आक्रमण की आशंका ही युद्धों की सम्भावनाओं एवं शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक राष्ट्र-राज्यों के मध्य आक्रमण का भय बना रहेगा तब तक वे अपनी सुरक्षा एवं शांति हेतु शस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करते रहेंगे। सुरक्षा की समस्या न केवल एक ही राष्ट्र की समस्या है वरन् सम्पूर्ण विश्व की समस्या है और सभी राष्ट्र इससे प्रभावित हैं। यही कारण है कि सभी राष्ट्र एक संगठन बनाकर एवं एकजुट होकर सुरक्षा के प्रति उत्पन्न होने वाले खतरों का विरोध कर रहे हैं। समग्र सुरक्षा का मूलमन्त्र “सब एक के लिए और एक सभी के लिए” है। वास्तव में समग्र सुरक्षा की समस्या तो परमाणु बम से काफी समय पूर्व वायुयान के सामरिक प्रयोगों के साथ ही पैदा हो गयी थी। डूहेट, मिशेल वे सेवर्सकी और फुलर की स्नेत्रजिक एवं सामरिक नीतियों की अवधारणाओं ने इस समग्र सुरक्षा की भावना को चिंतन का अधिक गम्भीर विषय बनाया था। जब युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय प्राप्त करना है तो स्नातेजी और समरनीति का निर्माण भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। जब युद्ध ही समग्र युद्ध रूप ग्रहण चुका है तो समग्र

सुरक्षा की भावना का विकास तो होना ही था। सुरक्षा की चिंता करना जैसे एक व्यक्ति की समस्या है, वैसे ही यह एक राष्ट्र की समस्या है। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति की सबसे छोटी इकाई होता है। जब राष्ट्रों के अन्दर राष्ट्रीयतावाद की भावना जन्म ले लेती है और यह निरन्तर उग्र होती जाती है तथा साथ ही साथ राष्ट्र सैन्यवाद में विश्वास करने लगते हैं तो राष्ट्रों में असुरक्षा और भय का वातावरण पैदा हो जाता है। फलतः दो या दो से अधिक राष्ट्र (समान विचारधारा वाले) निकट आने लगते हैं। इस प्रक्रिया में सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों के समक्ष संकट उत्पन्न कर देते हैं और निर्बल राष्ट्र समग्र सुरक्षा की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हो जाते हैं।

सन् 1789 की फ्रान्सीसी राज्य क्रान्ति के बाद राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रमुख निर्धारिक तत्व बन गयी। इस तत्व ने महान एकताकारी शक्ति के रूप में कार्य करके जर्मनी और इटली जैसे महान राष्ट्रों की स्थापना में विशेष योगदान दिया; किन्तु ओटोमन जैसे विशाल साम्राज्यों का विघटन हो गया। इस उग्र राष्ट्रवाद की भावना की अतिशयता के कारण विभिन्न राष्ट्रीयताओं (जर्मनी, इटली, फ्रान्स, इंग्लैण्ड, यूनान, सर्विया, आस्ट्रिया व हंगरी आदि) के लोगों में अपने-अपने को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति मानने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसका आशय केवल अपने देश का प्रेम ही नहीं, वरन् अन्य सभी देशों के प्रति 'घृणा' भी हो गया। जर्मनी में यह भावना अत्याधिक विस्तृत हुई। जर्मनी ने आर्य जाति की श्रेष्ठता के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अपने को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति और अन्य जातियों का शासक होने का अधिकारी कहना शुरू कर दिया। ब्रिटेन का 'व्हाइट मैन बर्डन' सिद्धान्त आया तो फ्रान्सीसी लोगों का 'सभ्यता के प्रसार का कार्य' सिद्धान्त आया। इन सिद्धान्तों ने प्रसारवाद और सैन्यवाद को जन्म दिया। जो आगे चलकर विश्व युद्ध के कारण बने। दो-दो महायुद्धों का रणांगन यूरोप ही बना। अतः यूरोप में ही एमग्र सुरक्षा की अवधारणा का आगे चलकर जन्म हुआ। आज भी सर्वाधिक असुरक्षा की भावना और समग्र सुरक्षा प्राप्ति की इच्छा यूरोपीय देशों में दिखाई देती है। आज आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या बन गया है। यह भी यूरोपीय देशों में पैदा हुआ। शीतयुद्ध का जन्म, समापन और नव शीत युद्ध का पुनर्जन्म यूरोपीय देशों की देन है। आर्थिक उदारीकरण व भूमण्डलीकरण जैसी नीतियाँ बनाने और लागू करने के प्रयास यूरोपीय देशों के ही हैं। इनसे अर्द्धविकसित और विकासशील देशों के हितों पर विकसित देश भीतरी प्रहार कर रहे हैं। इससे भी असुरक्षा की भावना छोटे-छोटे देशों में पनप रही है। अतः ये भी देश समग्र सुरक्षा का आवरण तैयार करना चाहते हैं। बड़े-बड़े देशों में पनप रही है। अतः ये सभी देश समग्र सुरक्षा का आवरण तैयार करना चाहते हैं। बड़े-बड़े देशों के साथ मिलकर सुरक्षा के साधनों को खोजने में लगे हुए हैं। आधुनिक युद्ध पूर्णतः आर्थिक युद्ध में बदल चुके हैं। यह आर्थिक युद्ध बड़ा तेजी से लड़ा जा रहा है। जी-77, उत्तर-दक्षिण संवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे संगठन तैयार होने के पीछे आर्थिक युद्ध के कुप्रभाव ही रहे हैं। यह समस्त प्रक्रिया समग्र सुरक्षा की अवधारणा का ही स्वरूप है। हम देख सकते हैं कि हैं 11 सितम्बर, 2001 की घटना ने भारत-अमेरिका को जितना अति निकट लाने में भूमिका अदा की है उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला है। निरन्तर सैन्य अभ्यास और शस्त्र खरीद की प्रक्रिया अमेरिका के साथ चल रही है। एक नया कूटनीतिक वातावरण तैयार हो रहा है। अमेरिका अपनी राष्ट्रीय मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली (एन० एम० डी०) के अन्तर्गत भारत को लेने की चाल चल रहा है। इससे पाकिस्तान की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक है। एन०एम०डी० की छाया जापान व द० कोरिया तक आ गयी है।

# आम और समान सुरक्षा

## (Common and Equal Security)

जहाँ तक आम और समान सुरक्षा का प्रश्न है तो यह भी क्षेत्रीय एवं सम्बन्धितरह प्रायः सम्भव नहीं है क्योंकि राष्ट्र-राज्यों के मध्य आम और समानता को लेकर मतभेद हैं। राष्ट्र-राज्यों की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। व्यक्तियों की अनेक वर्गों और समुदायों के संयुक्त मेल से राष्ट्र-राज्य का निर्माण होता है। व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है और यही भिन्नता राज्य और राष्ट्रों के बीच होती है। खान-पान, रीति-पूजा-पाठ, धर्म और सांस्कृतिक भिन्नता भी संघर्षों और युद्धों का कारण रही है। यदि भिन्नता न होती और ऊँच-नीच तथा छोटे-बड़े का भेद न होता (सभी समान थे) तो युद्ध होते। पूर्व और पश्चिम के बीच उत्तर और दक्षिण के बीच कभी समानता देखी ही नहीं गयी। साम्यवाद, साम्राज्यवाद और प्रजातंत्रवाद फैलता ही क्यों? यदि इनमें से किसी एक को हम आम और समान विचारधारा बन जाती तो युद्ध कभी के समाप्त हो गये होते। आज वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती।

आम सुरक्षा का अर्थ कि एक राष्ट्र के आम व्यक्ति की सुरक्षा ठीक उसी प्रकार हो चाहिए जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि की। राष्ट्रपति जितना अपने को सुरक्षा घेरे में स्थान सुरक्षित महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार देश का आम नागरिक भी अपने को स्वतंत्र व सुरक्षित महसूस करे लेकिन यह आज तक सम्भव न तो हुआ और न होगा। यह एक देश की बात है। ठीक उसी प्रकार यही बात अन्य देशों के बीच भी लागू होती है। परस्पर दो या दो अधिक देशों की सुरक्षा व्यवस्था में एकरूपता नहीं पाई जाती है। यदि ऐसा होता तो भारत-पाक के मध्य युद्ध होते ही नहीं जबकि इनके पूर्वज एक ही देश की पैदाइश थे। भारत में पाक से बांग्लादेश का जन्म होता ही नहीं। अतः सुरक्षा की इन उपरोक्त समस्त अवधारणाओं असमानता राष्ट्रीय हितों में भिन्नता की सुरक्षा की प्रधान समस्या है। इस समस्या से कोई राष्ट्र अलग नहीं है। समानर्थी शिया-सुन्नी व आई०एस०आई०एस० परस्पर क्यों लड़ते।

समान सुरक्षा का आशय है सभी की सुरक्षा व्यवस्था एक समान तरीके से करना। प्रयत्न यह है कि वह व्यवस्था कौन सी है जो समान रूप में लागू हो सके? जब एक ही देश नागरिकों के लिए यह सम्भव नहीं है तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य समान सुरक्षा व्यवस्था कैसे सम्भव है? विश्व में जितने साम्यवादी देश हैं न तो उनकी और न प्रजातांत्रिक में नहीं है। चीन व भारत में दोनों पदों का अस्तित्व है। यह असमानता की ही स्थिति है। उन व्यवस्थाओं में ही समानता नहीं है तो सुरक्षा में समानता कैसे हो सकती है? सुरक्षा एवं विश्वव्यापी समस्या है और इसका निदान भी विश्व स्तर पर किया जा सकता है।

## राष्ट्रीय प्रतिरक्षा (Concept of National Defence)

क्योंकि सुरक्षा एक स्थिर दशा नहीं होती है। सुरक्षा का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक आदि आधारों को कानून द्वारा सुरक्षित एवं एक दूसरे के अनुकूल करने के प्रयत्न किए जाते हैं ताकि वह बाह्य आक्रमणों द्वारा नष्ट न हो। इसको पूरा करने हेतु भी राष्ट्र को शक्तिशाली होना आवश्यक है।

क्योंकि दुर्बल राष्ट्र उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं और सबल राष्ट्र की ओर ललचाई दृष्टि से देखते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र को सबल व सक्षम होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग मात्र है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अपने आन्तरिक मूल्यों को बचाने की कोशिश करता है जबकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के अन्तर्गत हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग करके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न अवरोधों को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। (Defence is the process of removal of obstacles in the path of goal achieved by the use of violence).

‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ एक आवश्यकता है तथा ‘राष्ट्रीय प्रतिरक्षा’ सुरक्षा प्रदान करने का एक साधन है। प्रतिरक्षा के अन्य अतिरिक्त साधन भी हैं जैसे—सामूहिक सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियन्त्रण व शक्ति संतुलन एवं राजनीतिक साधन जैसे—सन्धियाँ व समझौते आदि। सुरक्षा का एक साधन मात्र होने के कारण प्रतिरक्षा का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित है। “प्रतिरक्षा में वे सभी सामान्य क्रियात्मक उपाय शामिल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध वास्तविक एवं सम्भावित खतरों का सामना करने के लिए उठाये जाते हैं।” किसी राष्ट्र की प्रतिरक्षा तैयारियाँ जितनी अधिक सुदृढ़ होंगी वह राष्ट्र उतना ही सुरक्षा के प्रति स्वयं को आश्वस्त अनुभव करेगा।

किसी राष्ट्र को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं अपितु प्रत्येक प्रकार से सबल होना आवश्यक है। जैसे—सामाजिक एवं संस्कृति की एकता, धार्मिक पूजा पद्धति की एकता, खान-पान व रहन-सहन की एकता, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, प्रतिरक्षा उद्योग एवं औद्योगिक उत्पादन, कृषि, खनिज, व्यापार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, संचार व परिवहन आदि। आजकल शत्रु मात्र सैन्य आक्रमण करके ही युद्ध नहीं लड़ता बल्कि वह हर साधनों का प्रयोग युद्ध के रूप में करता है। अतः केवल सैन्य शक्ति का विकास व विशाल सैन्य संख्या रखने से ही सुरक्षा की गारन्टी नहीं बन सकती। सभी मोर्चों पर सबल होना आवश्यक है तभी राष्ट्र की सुरक्षा सम्भव है। ‘राष्ट्रीय प्रतिरक्षा’ तो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। (National Defence is the most important integral part of the National Security.)। इसी से दोनों में अंतर को भी समझा जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का सम्बन्ध तत्कालीन सैन्य परिस्थितियों से है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का दीर्घकालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं विचारधारा से है। राष्ट्रीय सुरक्षा का आशय राष्ट्र के भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व को सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मूलभूत तथा व्यापक अवधारणा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरक्षण में उत्पन्न समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के प्रयत्नों द्वारा ही किया जाता है। किसी भी तत्कालिक आक्रमण के विरुद्ध बचाव करना ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का अहम् लक्ष्य है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा या रक्षा की आवश्यकता सदैव न होकर यदा-कदा होती है जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयास तो सदैव चलते रहते हैं।

किसी भी देश की सशस्त्र सेनाएँ देश की सुरक्षा स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका अदा करती है। युद्ध की प्रकृति प्रत्येक नूतन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ बदलती रहती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, औद्योगिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य विकास की व्यवस्था देश में स्थिरता पर निर्भर करती है क्योंकि इसकी स्थिरता की जड़े हमको संसाधनों, जनशक्ति, वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिक विकास, मनोबल और अन्यानेक गुणधर्मों या तत्वों के रूप में दिखाई होता है। आज

शत्रु इन्हीं को सर्वप्रथम अपना लक्ष्य बनाता है और भविष्य में भी यही तत्व शत्रु को बनाना। हमारी स्वातेजी की आकांक्षा है कि देश की प्रतिरक्षा की नूतन संकल्पना उनके सन्दर्भ में पुनः पूर्वाभिमुखीकरण की होनी चाहिए। सेनाओं का संगठन, नियंत्रण और व्यवस्था नूतन परिवेश में उद्देश्यपूर्ण और एकदम नियोजित होनी चाहिए। बदलते हुए चुनौतियों और समस्याओं को देखते हुए हमें इनमें परिवर्तन या संशोधन करना होगा। समस्याओं का समाधान हो सके या हल खोजा जा सके। इसके लिए प्राथमिक रूप में आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम शक्ति के छिपे हुए प्रबल स्रोतों को पता लगाएं और फिर उनका सुदृढ़ करें। हमारी खुफिया तंत्र बहुत उत्तम होना चाहिए और हमें अपनी आर्थिक, औद्योगिक वाणिज्यिक और भौतिक क्षमता को शोध करके बढ़ाना चाहिए ताकि, बड़े धनी और शक्तिशाली देशों के समतुल्य हो सके। ये समस्त कार्य शांतिकाल में ही संभव होते हैं, युद्धकाल में सूचना का बड़ा महत्व होता है। अतः सूचना प्रणाली को सक्षम और सुदृढ़ बनाना चाहिए क्योंकि वर्तमान युद्ध 'सूचना युद्ध' ही है। साइबर युद्ध भी यही होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी नव-व्यवस्था में एक शोध सैक्षण होना चाहिए जो उन्हें और सुदृढ़ एवं सक्षम बनाए, जहाँ समेकित सैन्य और वैज्ञानिक स्टाफ के लोग सूचनाओं की खोज करने के साथ-साथ उनका विश्लेषण की करके कार्यवाही सैन्य बलों को सही सूचना प्रदान कर सकें।

### स्थिरता (Stability)

प्रत्येक नूतन अस्त्र का प्रयोग आश्चर्यचकित करने वाला होता है। आश्चर्यचकित होना हमें पराजय का प्रथम लक्षण है। आश्चर्य युद्ध का मौलिक अस्त्र है। हमें शत्रु के प्रति अपने आशंका को गुप्त रखते हुए उसे सदैव अचंभित (आश्चर्य) करते रहना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए, पैदा करते रहना चाहिए। आश्चर्य चकित करने की नीति प्रत्येक क्षेत्र में अपनाई जा सकती है। खुफिया सेवा तंत्र की यह ड्यूटी है कि वह शत्रु क्षेत्र समस्त गोपनीय बातों के जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए खुफिया सेवा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्षम और प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें नूतन उपकरण एवं सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। नौजवान अधिकारियों को विदेशों में भ्रमण के लिए भेजा जाए और उन्हें वहाँ जाकर प्रत्येक बात के बारीकी से देखना और समझना होगा। हमारी सुरक्षा व्यवस्था तभी सक्षम, सुदृढ़ और उत्तम बनेगी जब शत्रु हमारी वास्तविक स्थितियों और स्थिरता के (कमजोर एवं सुदृढ़ बिन्दुओं) का सही आंकलन करने में अक्षम होगा।

'शातिकालीन सुरक्षा युद्ध कालीन सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है।' जर्मन यूराल और साइबेरिया में रूस के गुप्त औद्योगिक प्रसार से अनभिज्ञ रहे थे। रूस का यह प्रसार अतिगोपनीय पाँच वर्षीय योजना नीति के तहत किया जा रहा था। इसका लाभ युद्धकाल में भूमि को प्राप्त हुआ। भारत जनशक्ति, संसाधन उद्योग तंत्र, विशाल भौतिक भूगोल और क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से विशाल देश है, जिसमें स्थिरता का होना बड़े अर्थ रखता है। भारत के चारों ओर शत्रु देशों की संख्या अधिक है। ये देश सदैव इस प्रयास में रत रहे हैं कि भारत में किसी नई किसी रूप में अस्थिरता पैदा की जाए और इसे बनाए भी रखा जाए। चीन व पाकिस्तान वैष्णवी पड़ोसी देश सोचते हैं कि आन्तरिक अस्थिरता पैदा करके भारत को विध्वंसित करने के लिए इसके 'नव सेन्टर्स' पर हमला करके सुगमता से इसे लखवाग्रस्त किया जा सकता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत (सॉफ्ट स्टेट) 1980 के दशक से ही आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। सीमा पार आतंकवाद के चलते अनेक महान्

राजनेताओं, सैन्य व पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गयी। भारतीय संसद तक आतंकवाद का शिकार हो गयी। राजनेता आतंकवाद की समाप्ति के सन्दर्भ में कोई भी कठोर निर्णय नहीं ले सके हैं। देश राजनेताओं की वोट और आरक्षण की राजनीति का शिकार हैं। कुछ अपराधी से राजनेता बने लोग (अशिक्षित व अल्पशिक्षित) देश की 130 करोड़ से अधिक जनता के भाग्य और विकास का निर्णय संसद में बैठकर कर लेते हैं। शिक्षित और बेरोजगार नौजवान देश के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। शायद आगामी खतरा देश में इन्हीं नौजवानों से है। अपराध की दुनिया के रास्ते इनके लिए खुले हुए हैं। आतंक और अपराध आज एक बड़ा व्यवसाय और फैशन बन चुका है, विशेषकर अपहरण और बैंक डैकैटी (लूट)। ऐसी स्थिति में राष्ट्र/राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे इस दिशा में शीघ्रता से कदम उठायें समाज का बहुमुखी विकास करें। बिना स्थिरता के सशस्त्र सेनाएँ न तो योग्य बनेंगी और न अपना कार्य-कर्तव्य निर्वहन कर सकेंगी उदाहरण के रूप में जापान को लिया जा सकता है। जापान एक प्रथम श्रेणी की शक्ति वाला देश था और उसके पास उत्तम एवं शक्तिशाली, प्रशिक्षित और सुसंगठित सशस्त्र बल था, जिसने अमरीकन नौसेना को लखवाप्रस्त कर दिया था और पर्लहार्बर पर भीषण हमला किया था और सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्ब एशिया पर कब्जा कर लिया था लेकिन वह अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण (औद्योगिक अन्न उत्पादकता) असफल रहा। संयुक्त राष्ट्रों की तुलना में जापान में औद्योगिक अस्थिरता अधिक थी और वह हार गया था। यद्यपि जापान के सैन्य अधिकारी अपने देश की औद्योगिक कमजोरी व अस्थिरता से अवगत थे।

देश की स्थिरता को बाह्य और आन्तरिक शक्तियों द्वारा भंग और विध्वंसित किया जा सकता है। यह बात ध्यान में रखकर देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आत्म-निर्भरता भी पैदा हो सके। सशस्त्र सेनाएँ तब तक सक्षम तरीके कार्य (लड़ाई) न कर सकेंगी, जब तक सरकारी मशीनरी विधिवत तरीके से कार्य न करेगी और न लड़ाकू सेनाओं को आवश्यक साज-समान की आपूर्ति हो सकेगी। इसके लिए एक सक्षम, सुरक्षित और तीव्र आधार की आवश्यकता है और यह चाहिए। सुरक्षा सेनाओं की स्थिरता के लिए देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का होना आवश्यक है इसलिए इसे सुनिश्चित किया जाए। आज का आणविक युग 'सशस्त्र शान्ति' का युग कहलाता है। आणविक अस्त्र सामूहिक विनाश के अस्त्र हैं और ये ज्ञात रूप में विश्व के आठ देशों (अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान और इज्जाइल) के पास बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। अज्ञात रूप में लगभग इन्हीं देशों के पास इन अस्त्रों के बनाने के साधन, उपकरण और संयंत्र आदि हैं। परमाणु अस्त्रों को वायुयानों द्वारा लाया ले जाया और गिराया जा सकता है। रॉकेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। यद्यपि विज्ञान के विकास और वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता ने दूरमारक प्रक्षेपास्त्रों की विरोधी तकनीक का विकास कर लिया है और इन प्रक्षेपास्त्रों को लक्ष्य पर प्रहार करने से पूर्व मार्ग में ही ट्रेस और डिटेक्ट करके नष्ट किया जा सकता है।